क्रम संख्या–81 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 14 मई, 2018 ई0

बैशाख 24, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 234/XXXVI(3)/2018/36(1)/2018

देहरादून, 14 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2018' पर दिनांक 11 मई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 28 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 28, वर्ष, 2018)

धर्म स्वतंत्रता उपबंध करने की दृष्टि से मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए राजी करने के निषेध और उससे आनुषांगिक विषयों के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2018 होगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''प्रलोभन'' से किसी उपहार या परितोषण या भौतिक लाभ के रूप में किसी प्रलोभन का प्रस्ताव, चाहे वह नकद में या रोजगार, किसी धार्मिक निकाय द्वारा चलाये जा रहे प्रतिष्ठित स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, सुलभ धन, बेहतर जीवन शैली, दैवीय कृपा या अन्य किसी रूप में हो, सम्मिलित एवं अभिप्रेत है;

(ख) ''धर्म परिवर्तन के लिए राजी कराना'' से किसी व्यक्ति को एक धर्म को छोड़ने और किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने के लिए सहमत कराना, अभिप्रेत है;

(ग) ''बल'' में बल का प्रदर्शन या धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने की धमकी देना या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए राजी कराना या किसी अन्य व्यक्ति या सम्पति को सम्मिलित कर देवीय भाजन या समाज से बहिष्कृत करने की धमकी देना सम्मिलित है;

(घ) ''कपटपूर्ण'' में किसी प्रकार का मिथ्या निरूपण या कोई अन्य कपटपूर्ण युक्ति सम्मिलित है;

(ड.) ''प्रपीडन''से मनोवैज्ञानिक दवाब या भौतिक दवाब के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरूद्ध कार्रवाई करने को बाध्य करना जिसमें शारीरिक क्षति या धमकी सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(च) ''असम्यक असर'' से किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अंतःकरण के विरूद्ध प्रयोग करना या ऐसे प्रभाव का प्रयोग करना जिससे व्यक्ति की

इच्छा के अनुसार कार्यवाही करने के लिये अन्य व्यक्ति द्वारा दवाब डालना या प्रभाव में लेना अभिप्रेत है;

(छ) ''धर्म परिवर्तन'' से किसी एक धर्म को छोड़ना और किसी अन्य धर्म को स्वीकार करना अभिप्रेत है;

(ज) ''अवयस्क'' से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'धर्म' से भारत में या उसके किसी भाग में प्रयुक्त किसी संगठित रीति पर आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या परम्पराओं के अधीन यथा परिभाषित धर्म अभिप्रेत है;

(ञ) ''धार्मिक पुजारी'' से किसी धर्म का कोई पुजारी जो संस्कारों की विशुद्धि या किसी धर्म के परिवर्तन के किसी समारोह का सम्पादन करता है चाहे उसे किसी नाम से पुकारा जाय, यथा पुजारी, पंडित, मुल्ला, मौलवी, फादर इत्यादि अभिप्रेत है;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम मे प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे जो भारत या उत्तराखण्ड राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।

मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, कपटपूर्ण, असम्यक् असर, प्रपीडन, प्रलोभन द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का प्रतिषेध

3\. कोई व्यक्ति मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन के प्रयोग द्वारा या किसी कपटपूर्ण माध्यम द्वारा या विवाह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अन्यथा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित या परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसे धर्म परिवर्तन के लिये उकसायेगा या उसका षडयंत्र करेगा;

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्व धर्म में वापस आता है तो ऐसा कृत्य इस अधिनियम के अधीन एक धर्म से दूसरे धर्म का परिवर्तन नही कहा जायेगा।

धर्म परिवर्तन के प्रति परिवाद

4\. धारा 3 के अधीन व्यथित व्यक्ति अथवा उसके माता–पिता या भाई–बहिन द्वारा ऐसे धर्म परिवर्तन के प्रति इस आधार पर न्यायालय के समक्ष परिवाद किया जा सकेगा कि वह धारा 3 में विनिर्दिष्ट उपबंधों का उल्लंघन करता है;

परन्तु, यह कि जहां व्यथित व्यक्ति अथवा उसके भाई–बहिन अट्ठारह वर्ष से कम आयु के हैं अथवा जड़ या पागल है अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने में असमर्थ है, कोई अन्य व्यक्ति, अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे रक्त विवाह या दत्तक से सम्बंधित है, उसकी ओर से न्यायालय की अनुमति से परिवाद कर सकेगा।

धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दण्ड

5\. जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, किसी सिविल दायित्व पर प्रभाव डाले बिना, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा, जो एक वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा;

परन्तु, यह कि जो कोई अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सम्बंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा जो दो वर्ष से कम नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

धर्म परिवर्तन के एकमात्र उद्देश्य से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य होगा

6. कोई विवाह जो किसी एक धर्म के पुरूष द्वारा किसी अन्य धर्म की महिला के साथ चाहे वह विवाह के पूर्व या पश्चात् स्वयं के धर्म परिवर्तन द्वारा या विवाह के पूर्व या पश्चात् महिला का धर्म परिवर्तित करने के द्वारा, धर्म परिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन से किया गया है, को विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरूद्व प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कुटुम्ब न्यायालय द्वारा या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नही है, वहां ऐसे मामलों के विचारण के लिए जिस न्यायालय की अधिकारिता हो द्वारा, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकेगा।

वह न्यायालय जिसमें आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा

7. धारा 6 के अधीन प्रत्येक आवेदन उस कुटुम्ब न्यायालय या जहां कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नही है, वहां ऐसे मामले के विचारण के लिए जिस न्यायालय की अधिकारिता हो, उसकी स्थानीय उक्त सीमाओं के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा जहां –

(एक) विवाह का अनुष्ठापन हुआ था; या

(दो) प्रत्यर्थी, आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के समय, निवास करता है; या

(तीन) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था; या

(चार) आवेदिका होने की दशा में पत्नी, जहां वह आवेदन को प्रस्तुत करने के दिनांक को निवास कर रही है।

धर्म के परिवर्तन के पूर्व की उद्घोषणा और शुद्धता संस्कार के सम्बंध में पूर्व रिपोर्ट

8. (1) कोई व्यक्ति जो अपना धर्म परिवर्तन करने का इच्छुक है, वह कम से कम एक माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष विहित प्ररूप में यह उद्घोषणा करेगा कि वह स्वयं की इच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करने का इच्छुक है और उसने अपनी स्वतंत्र सहमति दी है तथा इसमें बल, प्रपीडन, असम्यक असर या प्रलोभन सम्मिलित नही है।

(2) धार्मिक पुजारी जो शुद्धता संस्कार या किसी धर्म से अन्य धर्म में किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के लिए समारोह प्रायोजित करेगा उसकी सूचना विहित प्ररूप पर जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को, जहां ऐसा समारोह आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, एक माह पूर्व देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (1) और (2) के अधीन प्राप्त सूचना के पश्चात् उक्त प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के सम्बंध में पुलिस के माध्यम से जांच सम्पादित करेगा।

(4) उपधारा (1) और / या उपधारा (2) के उल्लंघन में उक्त धर्म परिवर्तन का प्रभाव अवैध तथा शून्य होगा।

(5) जो कोई उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा जो तीन माह से कम नही होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(6) जो कोई उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से, दंडित होगा जो छः माह से कम नही होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

अभियोजन की पूर्व स्वीकृति

9\. धारा 8 के अधीन किये गये किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा ऐसे अन्य प्राधिकारी जो कि उपखंड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न न हो, जैसा कि उसे इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया गया हो, की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नही किया जायेगा।

किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दण्ड

10\. यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है यथास्थिति उस संस्था या संगठन के मामलों का प्रभारी व्यक्ति धारा 5 के अधीन दिये गये दण्ड के अध्यधीन होगा तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसे संगठन या संस्था का तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किया गया रजिस्ट्रीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

दान या अंशदान स्वीकार करने का प्रतिषेध

11\. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति या संगठन को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके किसी दान या अंशदान को किसी प्रकार से देश या विदेश से प्राप्त करने की अनुज्ञा नही दी जायेगी।

अपराध के पक्षकार

12\. इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध कारित किया जाय, निम्न में से प्रत्येक अपराध के कारित करने में भाग लेने वाला समझा जायेगा और अपराध का दोषी होगा और ऐसे अधिरोपित किया जायेगा मानो कि उसने वास्तव में अपराध किया है, अर्थात–

(एक) प्रत्येक व्यक्ति जिसने वास्तव में ऐसा कृत्य किया है, जो अपराध संरचित करता है;

(दो) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में सक्षम बनाने या सहायता करने के उदेश्य से ऐसा कृत्य करता है या करने का लोप करता है;

(तीन) प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने में किसी अन्य व्यक्ति को सहायता करता है या उकसाता है;

(चार) कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है या उपाप्त करता है।

सबूत का भार

13\. इस तथ्य के सबूत का भार कि कोई धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक् असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नही है, उस व्यक्ति पर जिसे इस प्रकार संपरिवर्तित किया गया हो, एवं जब ऐसा संपरिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया हो तब ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

अपराध का गैर जमानतीय होना

14\. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते भी, इस अधिनियम के अधीन कारित प्रत्येक अपराध गैर जमानतीय होगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी किये जाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उत्तराखण्ड सरकार आदेश द्वारा राजपत्र में प्रकाशित करके ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और ऐसी कठिनाई को दूर करना आवश्यक और समीचीन हो, कर सकेगी;

परन्तु, यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नही किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश शीघ्राति शीघ्र इसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

16. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के कियान्वयन के लिए नियम या विनियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसे बनाये जाने के पश्चात शीघ्राति शीघ्र विधान मण्डल के समक्ष रखा जायेगा और राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन होगा जैसा सत्र के दौरान राज्य विधान मण्डल द्वारा किया जाय।

(3) उपधारा (2) के अधीन किये गये उपांतरण राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और वह तद्पश्चात् प्रभावी होंगे।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

No. 234/XXXVI(3)/2018/36(1)/2018
Dated Dehradun, May 14, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Freedom of Religion Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: **28 of 2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 11 May, 2018.

कारण तथा उद्देश्यों का कथन

भारत का संविधान के अनुच्छेद 25,26,27 तथा 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की स्वतंत्रता दी गयी है जिसमें भारत के समस्त नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता उपबंधित है। इस अधिकार का उद्देश्य भारत की सामाजिक भावना को दर्शाता है। संविधान के अनुसार राज्य का कोई धर्म नही है और सभी धर्म राज्य के समक्ष समान है और राज्य किसी धर्म को किसी अन्य धर्म के सापेक्ष कोई वरीयता नही दे सकता है। नागरिक अपनी इच्छा से किसी धर्म का पालन, व्यवहार और प्रचार कर सकता है।

2– अब तक धर्म संपरिवर्तन के वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार के अनेकों मामले आये हैं। स्वभाविक रूप से ऐसी ज्वलन्त घटनाएं बहुधार्मिक समाज में, जैसा कि हमार समाज है, वाद–विवाद का विषय रही है, अन्य धर्म के कमजोर वर्गों के धर्म परिवर्तन के गुप्त एजेंडे के साथ छद्म सामाजिक संस्थाओं की उपस्थिति को भी देखा गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, जहां सीधे–सादे व्यक्ति को प्रलोभन देकर या असम्यक असर के अधीन संपरिवर्तन किया जाता है इसी प्रकार कुछ लोगों को अन्य धर्म में परिवर्तन के लिये विवश किया गया है।

3– अद्यतन धार्मिक परिवर्तन के कतिपय मामले आये हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक हैं। वास्तव में ऐसी घटनाएं विचारणीय होती है, इस प्रकार बहु धार्मिक समाज में, जैसे हम, घटनाएं घटित होती है।

4– मिथ्या सामाजिक संगठनों की उपस्थिति में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के छिपे हुए एंजेडे द्वारा कार्यवाही की जाती है, ऐसे भी उदाहरण है जब गरीब व्यक्ति प्रलोभन या अनावश्यक दवाब के अधीन धर्म परिवर्तन कर लेते है। कुछ मामलों में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन बल पूर्वक किये गये है। एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में सम्मिलित कर अपनी संख्या को बढाने के लिए ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। लोग अपने धर्म को मिथ्या निरूपण द्वारा किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करके लड़कियों से विवाह कर रहे है और ऐसी लडकियों से विवाह करने के पश्चात् वे अपने धर्म मे परिवर्तित हो जाते है। विभिन्न मामलों में यह संज्ञान में आया है कि लोग अपना धर्म किसी अन्य धर्म में केवल लड़की को प्राप्त करने के लिए परिवर्तन कर रहे है। अभी हाल में ही इस प्रकार के मामले मा0 उच्चतम न्यायालय के साफीन जहां बनाम् अशोकन के एम तथा अन्य की विशेष याचिका (आपराधिक) संख्या 5777 वर्ष 2017 तथा रिट याचिका आपराधिक संख्या 142 वर्ष 2016 अमन वेग बनाम् मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य के प्रकरण में देखने को मिले है।

5– भारत के विभिन्न राज्यों में पूर्व से ही अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अधिनियम है, यथा उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, गुजरात, अरूणांचल प्रदेश और तमिलनाडु तथा हाल ही में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने एच ए बी सी संख्या 20 वर्ष 2017 ग्रीस कुमार शर्मा बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के मामले में केवल विवाह के प्रयोजनों के लिए धर्म परिवर्तन की व्यवस्था को शर्मनाक बताया है। ऐसी घटनाएं जहां इस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यून करते है,वहीं हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने के विरूद्ध है।

6– इस प्रकार यह विधेयक –

(एक) ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध बनाकर प्रतिषिद्ध करेगा जो मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा हो।

(दो) यह अव्यस्क, महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सम्बंध में ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए वृहत्तर दण्ड उपलब्ध करायेगा।

(तीन) धर्म परिवर्तन,मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए नही किया गया है, के सबूत का भार ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर एवं ऐसे संपरिवर्तन व्यक्ति पर होगा।

(चार) एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए प्रत्येक वैयक्तिक धर्म परिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बल पूर्वक, असम्यक असर, प्रपीडन, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी अन्य कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए नही है।

(पांच) किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म परिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन के लिए किये गये विवाह पर ऐसा विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा।

7– प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उददेश्यों की पूर्ति करता है।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 29 विधायी / 291–2018–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।